



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1590]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2010/श्रावण 12, 1932

No. 1590]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2010/SHRAVANA 12, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010

सं. 67/2010-आयकर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2010

No. 67/2010-Income-Tax

का.आ. 1898(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80एक की उप-धारा (10) के खंड (क) एवं (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्वारा 3 जून, 1992 की अधिसूचना सं. टीपीबी-4391/4080 (ए)/यूडी-II (आरडीपी) के प्रावधानों के साथ पठित ग्रेटर मुम्बई के लिए विकास नियंत्रण विनियम, 1991 के विनियम 33(10) में निहित योजना को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त धारा के प्रयोजनार्थ योजना के रूप में अधिसूचित करता है :—

- (i) अधिसूचना सं. टीपीबी-4391/4080 (ए)/यूडी-II (आरडीपी) दिनांक 3 जून, 1992 में उल्लिखित श्रेणी-VII में आने वाले स्लम विकास को योजना से बहिष्कृत किया जाएगा;
- (ii) विनियम 33(10) जो स्लम एवं गैर स्लम क्षेत्रों के संयुक्त विकास के लिए प्रावधान करता है, के परिशिष्ट IV के खंड 7.7 के अंतर्गत आने वाले स्लम विकास को योजना से बहिष्कृत किया जाएगा; तथा
- (iii) एतद्वारा अधिसूचित योजना में किसी संशोधन को बोर्ड द्वारा पुनः अधिसूचित किए जाने की जरूरत होगी।

2. यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 178/37/2006-आ.का.नि.-I]

पदम सिंह, अवर सचिव

S.O. 1898(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (a) and (b) of sub-section (10) of Section 80IB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Board hereby notifies the Scheme contained in Regulation 33(10) of Development Control Regulation for Greater Mumbai 1991 read with the provisions of notification No. TPB-4391/4080(A)/UD-11(RDP) dated 3rd June, 1992, as a scheme for the purposes of the said Section subject to the following conditions,—

- (i) slum development falling in Category VII mentioned in notification No. TPB-4391/4080(A)/UD-11(RDP) dated 3rd June, 1992 shall be excluded from the Scheme;
- (ii) slum development falling within clause 7.7 of the Appendix IV of regulation 33(10) which provides for joint development of slum and non-slum areas shall be excluded from the Scheme; and
- (iii) any amendment in the Scheme hereby notified shall be required to be re-notified by the Board.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication.

[F. No. 178/37/2006-ITA-I]

PADAM SINGH, Under Secy.